

1/8/25 प्राथमिक अधिवक्ता उपस्थित। अप्राथमिक स. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल उपस्थित आए। 7/1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 5/2/25 को पेश हो।

5/2/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। 7/1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 11/03/2025 को पेश हो।

11/03/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। 7/1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 15/04/25 को पेश हो।

15/4/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पत्र हेतु समय चाहिए। 7/1 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 12/5/25 को पेश हो।

12/5/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथमिक पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। प्राथमिक अधिवक्ता को बुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधाना दिनांक 03/12/2024 मूलवाद के विनियुक्त स्थायी की जाती है। पत्रावली विनियुक्त होकर गम्बर से कप्त होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



अधिकारी (संयोजक)
अधिवक्ता
राजस्थान सरकार